न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 243/2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/756

प्रार्थीगण :–

1. रेखा पुत्री पांचाराम जाति विश्नोई, निवासी–सिरमण्डी हाल निवासी मतोड़ा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी–सिरमण्डी हाल निवासी मतोड़ा, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
2. तहसीलदार, ओसियां, जोधपुर

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल चौधरी, श्री रमेश कुमार वैष्णव, श्री दीपक विश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता
2. अप्रार्थी अधिवक्ता–अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1637 दिनांक 01.09.2025 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा भरा जाकर तस्दीक किया गया।

– : : निर्णय : : – **दिनांक : 10/4/26**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम प्रतापनगर हल्का पटवार ओसियां (हरिपुरा) की सरहद में आये हुए खेत खसरा नम्बर 626, 626/2, 681 के विभाजन हेतु राजस्व वाद सहायक कलक्टर ओसियां के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 45/2023 के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.10.2024 को डिक्री किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 681 रकबा 2.1125 हैक्टेर मांगीलाल पुत्र पांचाराम बहिस्सा 18/265, रेखा पुत्री पांचाराम बहिस्सा 247/265 एवं अर्जुनसिंह पुत्र सबलसिंह वास्ते शमसान भूमि रकबा 0.1295 हैक्टर जगदीश पुत्र बगडुराम रकबा 3.8283 हैक्टर रखी गई। अन्य खसरों के बावत विवाद नही होने से उल्लेखित नही किया गया है। उक्त बंटवाड़े के डिक्री के अनुसार नामान्तरकण भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था परन्तु जरिये आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1637 के अपीलार्थिनी का हिस्सा 247/265 को विलोपित कर केवल मांगीलाल पुत्र पांचाराम के नाम सम्पूर्ण रकबा दर्ज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। आलोच्य नामान्तरकण संख्या 1637 दिनांक 01.09.2025

विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित होने से काबिले निरस्त है। राजस्व वाद संख्या 45/2023 में प्राथमिक डिक्री जारी होने पर तहसीलदार ओसियां के माध्यम से प्रस्तावित बंटवाड़ा तलब किया जिसमें खसरा नम्बर 681 का विभाजन तीन भागों में किया गया। एक भाग जगदीश पुत्र बगडुराम, बाबूदेवी पत्नी बगडुराम के हिस्से में 3.8283 हैक्टर उक्त दोनो के 1/2–1/2 हिस्से में दूसरा भाग अर्जुनसिंह पुत्र सबलसिंह (शमसान) हेतु रक़बा 0.1295 हैक्टर एवं मांगीलाल पुत्र पांचाराम व रेखा पुत्री पांचाराम रकबा 2.1125 हैक्टर बहिस्सा मांगीलाल का 18/265 व रेखा पुत्री पांचाराम का 247/265 रखा गया। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री पारित की है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने या तो भूलवश या जानबूझकर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1637 में अपीलार्थिनी का हिस्सा विलोपित कर दिया एवं जो रकबा मांगीलाल व रेखा के नाम से 2.1125 हैक्टेर दर्ज किया जाना था वह अकेले प्रत्यार्थी मांगीलाल के नाम दर्ज कर दिया। आलौच्य नामान्तरकरण के जरिये अपीलार्थीनी को अपने हिस्से से महरूम कर दिया जो सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा जरिये निर्णय व डिक्री दिया गया था। उक्त निर्णय डिक्री को कभी भी चुनौती नही दी गई न ही रिव्यु किया गया। उसके बावजूद भी बिना किसी सक्षम निर्णय या आदेश के आलौच्य नामान्तरकरण के जरिये अपीलार्थीनी के खातेदारी निरस्त कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त है। अपील के अंत में अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण 1637 दिनांक 01.09.2025 को अपास्त कर सहायक कलक्टर ओसियां के वाद संख्या 45/2023 में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार नामान्तरकरण भरे जाने का आदेश करने का निवेदन किया गया। अपील के साथ अपीलार्थीनी द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिस के तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई द्वारा अंडरटेकिंग दी गई परन्तु वकालतनामा पेश नही किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस बताये गये तथ्यों पर मनन किया। अपीलार्थीनी के धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारण सदभाविक होने से धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में बटंवाड़ा प्रस्ताव 2437 दिनांक 09.10.2024 के संलग्न विभाजन प्रस्ताव में वंटवाड़ा के बिन्दु संख्या 6 में " मांगीलाल पुत्र पांचाराम 18/265 जाति विश्नोई सा. सिरमण्डी रेखा पुत्री पांचाराम 247/265 जाति विश्नोई सा. सिरमण्डी हाल मतोड़ा तह.

बापिणी–681–2.1125–बारानी ।।'' का अंकन है। उक्त विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 1637 में बंटवाड़ा प्रस्ताव 2437 दिनांक 09.10.2024 के विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप नही कर अपीलार्थीनी का हिस्सा 247/265 नही दिया जाकर केवल मांगीलाल पुत्र पांचाराम के नाम सम्पूर्ण रकबा दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1637 दिनां 01.09.2025 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को पुनःप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि सहायक कलक्टर ओसियां के वाद संख्या 45/2023 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार नामान्तरकरण भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वित्तीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 10/4/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वित्तीय)
जोधपुर